UPRN120018202022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर ,कानपुर देहात।

परिवाद सं–1101/2022

चन्द्र शेखर बनाम भारत सिंह आदि ।

दिनांक 04-04-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया ।

संक्षेप में परिवाद पत्र के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी आराजी सं० 127 मि० रकबा 0.3100 हे० के 1/2 भाग यानि 0.1550 हे० का संक्रमणीय भूमिधर है । आराजी मौजा बिहारी तहसील भोगनीपुर में स्थित है । आराजी सं० 126 रकब 0.6110 हे० में 1/6 भाग यानि रकबा 0.1027 हे० का मालिक है । उपरोक्त आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग औरैया कानपुर के किनारे स्थित है । बहुत कीमती है । परिवादी उपरोक्त भूमि को बेचना चाहता है जिसको भारत सिंह यादव, मनोज कुमार , सनी कटियार व बजरंगदास ने खरीदने की इच्छा जतायी तथा 25,00,000/-रूपये में बात तय हुई । भारत सिंह यादव, मनोज कुमार , सनी कटियार व बजरंगदास के पास रूपयों की व्यवस्था न होने के कारण मुझसे कहा कि तहसील भोगनीपुर में इकरारनामा कर दो तथा 4,00,000/-रूपये की मेरी पत्नी के नाम चेक दिनांक 13-10-2021 को दी । दिनांक 21-10-2021 को उपरोक्त अभियुक्तगण ने बिना कोई धनराशि दिये उसकी उपरोक्त भूमि का रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट करा लिया ।दिनांक 21-10-2021 को भारत सिंह ने रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के बदले उसकी पत्नी उर्मिला के नाम 4,00,000/-रूपये की चेक सं० 000022 बैंक आफ इण्डिया अकरबपुर दिनांकित 13-10-2021 की दी तथा शेष 1,00,000/-रूपये मांगा तो उक्त लोग बोले एग्रीमेन्ट कर दो 1,00,000/-रूपये नगद एक सप्ताह में दे देंगे । विपक्षीगण परिचित एवं व्यवहारी होने के कारण वह उनकी बात मान गया तथा एग्रीमेन्ट तहरीर कर दिया । दिनांक 13-10-2021 को भारत सिंह द्वारा दी गयी चेक सं० 000022 बैंक आफ बड़ौदा शाखा अकबरपुर को उसकी पत्नी ने पंजाब नेशन लबैंक शाखा अकबरपुर में अपने खाता सं० -4834000100059464 में दिनांक 13-10-2021 को लगायी उक्त चेक पर्याप्त धन न होने के कारण दिनांक 28-10-2021 को अनादृत हो गयी । इसके बाद उपरोक्त विपक्षीगण

भारत सिंह यादव, मनोज कुमार , सनी कटियार व बजरंगदास से सम्पर्क किया और चेक अनादृत होने के बारे में बताया अपना रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट दिनांक 21–10–2021 के बदले 5,00,000/–रूपये मांगा तो उक्त लोगों ने कहा कि तीन महीने के अन्दर आपकी पत्नी के खाते में रूपया डलवा देंगे तथा चेक वापस कर दो । इसके बाद भारत सिंह ने उसकी पत्नी के उपरोक्त खाता सं० पंजाब नेशनल बैंक शाखा अकरबपुर कानपुर देहात में चेक सं० 098731 मु० 4,00,000/–रूपये की लगायी जो दिनांक 10–05–2022 को अनादृत होगयी । इस प्रकार विपक्षीगणों ने बिना धनराशि अदा किये रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट दिनांक 21–10–2021 को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ छलकर रजिस्टर्ड इकरारानामा तहरीर करा लिया है । दिनांक 13–05–2022 को उसने भारत सिंह यादव, मनोज कुमार , सनी कटियार व बजरंगदास से अपना रूपया मांगा तो उपरोक्त लोगों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिया तथा एग्रीमेंट कैंसिल कराने से मना कर दिया । भारत सिंह यादव, मनोज कुमार , सनी कटियार व बजरंगदास ,शिव कटियार व अजीत कुमार ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी करने की नियत से फर्जी इकरारनामा तैयार करा लिया जो कूटरचित दस्तावेज है घटना की सूचना उसने थाना भोगनीपुर में दी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र भेजा कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) माननीय न्यायालय में दाखिल किया ।

न्यायालय आदेश दिनांकित 23–08–2022 के द्वारा प्रकरण को परिवाद के रूपमें दर्ज किया गया ।

परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 सी०आर०पी०सी अंकित किया गया। परिवादी की ओर से धारा 202 सी०आर०पी०सी के अंतर्गत पी०डब्ल्यू० – 01 उर्मिला को परीक्षित कराया गया है ।

परिवादी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं प्र०सं० में कथन किया गया कि मैं अपनी जमीन बेचना चाह रहा था तो मैंने भारत सिंह, मनोज कुमार ,सनी कटियार व बजरंग दास के साथ अपनी जमीन को बेचने का अनुबन्ध दिनांक 21–10–2021 को हुआ जिसमें पांच लाख रूपये अनुबंध के समय वबकाया बैनामें के वक्त देना तय हुआ था । उक्त लोगों ने बोला एक लाख रूपये नगद देंगे व शेष जरिये चैक । न तो नकद दिया और दो बार मुझे चेक दिया ,चार लाख रूपये का । दो खाते में अपर्याप्त धन होने के कारण डिस्आनर हो गये । मुझे बार बार उक्त लोग आश्वासन देते रहे कि रूके रहो तुम्हे पैसा दे देंगे पैसा नहीं दिया और अब

मांगते हैं तो गाली गलौज करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इस प्रकार गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण भारत सिंह यादव, मनोज कुमार, सनी कटियार, बजरंगदास निरंजन को अंतर्गत धारा 504,506 भा०द०सं० में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्तगण भारत सिंह यादव, मनोज कुमार, सनी कटियार, बजरंगदास निरंजन, को धारा 504,506 भा०द०सं० में तलब में तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 05-05-2023 को पेश हो।

(राशि तोमर)

दिनांक 04-04-2023

सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

भोगनीपुर, कानपुर देहात।

J.O code U.P2540

Digitally signed by RASHI TOMAR
Date: 2023.04.03 21:26:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court